"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जून 2018 — ज्येष्ठ 22, शक 1940

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2018

निर्देश
निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण

क्रमांक एफ 58-01/तीन (दो)/न. पा./प्रतीक/2018/946.— भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अनुसरण में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय समय पर यथा संशोधित अपनी पूर्व आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2016 को अद्यतन करते हुए दिनांक 13 अप्रैल 2018 को अधिसूचना जारी किया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी अनुक्रम में आयोग के आदेश क्र. एफ -12/1526/रानिआ/न. पा/प्रतीक/09 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2015 को यथा संशोधित कर अद्यतन करने का निर्णय लिया है.

2. अत: छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम 1956 की धारा 14 (2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी उपर्युक्त आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2009 एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2015 को अधिक्रमित कर आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है :-

नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष/पार्षद के लिए निर्वाचन प्रतीक

सारिणी-I में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और उनके लिए आरक्षित प्रतीक
सारिणी-II में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल और उनके लिए आरक्षित प्रतीक
सारिणी-III में मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल
— भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना अनुसार

सारिणी-IV में मुक्त प्रतीक :- आयोग द्वारा विहित उपरोक्त निर्वाचन प्रतीक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीक से अलग होंगे.

भाग-एक

सारिणी-IV- मुक्त प्रतीक

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका /नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल
2.	चाबी
3.	टेबल पंखा
4.	कलम दवात
5.	किताब
6.	स्लेट
7.	बिजली का स्विच
8.	कांच का गिलास
9.	रेडियो
10.	खम्भे पर ट्यूब लाइट
11.	स्टूल
12.	गैस बत्ती
13.	रोड रोलर
14.	बस
15.	सीटी
16.	प्रेशर कुकर
17.	टेबल लैम्प
18.	कुर्सी
19.	मटका
20.	गाड़ी
21.	फावड़ा और बेलचा
22.	सूरजमुखी का फूल
23.	गेहूं की बाली
24.	सब्जियों की टोकनी
25.	हार
26.	अंगूठी
27.	बैंच
28.	गैस सिलेन्डर
29.	पीपल का पत्ता
30.	हारमोनियम
31.	हस्तचलित पम्प
32.	हाथ चक्की

(1)	(2)
33.	लट्टू
34.	मेज
35.	बनियान
36.	सेव
37.	मक्के का भुट्टा
38.	कमीज
39.	मूली
40.	केतली
41.	फ्राक
42.	बाल्टी
43.	गुलाब का फूल
44.	हल
45.	अनाज बरसाता हुआ किसान
46.	पोत
47.	कुल्हाड़ी
48.	घंटी
49.	कुआ

भाग-दो

सारिणी-IV- मुक्त प्रतीक

नगरपालिक निगम/नगरपालिका /नगर पंचायत के पार्षद के लिए निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	दो पत्तियां
2.	उगता सूरज
3.	सीढ़ी
4.	पतंग
5.	तराजू
6.	छाता
7.	बिजली का बल्ब
8.	छत का पंखा
9.	ताला और चाबी
10.	सिलाई मशीन
11.	झोपड़ी
12.	नाव
13.	स्कूटर
14.	जीप
15.	रेल का इंजन
16.	ब्लैक बोर्ड
17.	टेलीफोन
18.	टेलीविजन
19.	वायुयान
20.	बरगद का पेड़
21.	लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
22.	अलमारी
23.	हाकी और गेंद
24.	दो तलवार एक ढाल
25.	चश्मा
26.	फलों सहित नारियल का पेड़
27.	कप प्लेट
28.	मोमबत्ती
29.	संडसी
30.	जग
31.	कढ़ाई
32.	गुब्बारा

(1)	(2)
33.	लड़का और लड़की
34.	मेज
35.	वायलिन
36.	नाव
37.	मोरपंख
38.	बल्ला
39.	सिगड़ी
40.	ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान

हस्ता./-
(जिनेविवा किंडो)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.